

कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर  
शिवाजी वार्ड, तिली रोड़, सागर(म.प्र.)

विज्ञापन

क्रमांक /629/स्था./राज./20

सागर,दिनांक 07/02/2020

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में सीनियर रेसीडेण्ट एवं जूनियर रेसीडेण्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (TENURE) पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इण्टरव्यू(साक्षात्कार) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

सीनियर रेसीडेण्ट SR ( निश्चित वेतन रु 65,000/- प्रतिमाह)

क्रं.	विभाग का नाम	रिक्त पद				
		अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	कुल
1	मेडिसिन	1	-	-	1	2
2	टी.बी. एण्ड चेरट	-	-	-	-	-
3	पीडियाट्रिक्स	-	-	1	-	1
4	जनरल सर्जरी	-	1	1	-	2
5	ऑर्थोपेडिक्स	-	-	1	1	2
6	ऑपथलमोलॉजी	-	-	-	-	-
7	ई.एन.टी.	-	-	-	-	-
8	ऑब्सट्रेटिक्स एंड गायनी	-	-	1	1	2
9	एनोस्थिशिया	1	-	1	1	3
10	रेडियोडाइग्नोसिस	-	-	1	1	2
11	डर्माटोलॉजी	-	-	-	-	-
12	साइकेट्री (मनोरोग)	1	-	-	-	1
13	डेंटिस्ट्री	-	-	-	-	-
14	रेडियोथेरेपी	-	-	1	-	1
15	फिजीकल मेडिसिन एण्ड रीहेब्लिटेशन	-	-	1	-	1
	कुल	3	1	8	5	17

कं.	पदनाम	रिक्त पद				
		अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	कुल
1	जूनियर रेसीडेण्ट ( निश्चित वेतन रु 45,000/- प्रतिमाह)	1	0	3	10	14

साक्षात्कार 11.02.2020 को आयोजित किया जायेगा।



अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,  
सागर (म.प्र.)

**नोट-** आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाइट [www.bmc.edu.gov.in](http://www.bmc.edu.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक-इन-इण्टरव्यू माह के प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) को आयोजित किये जाएंगे। आवेदन पत्र दोपहर 12:00 बजे तक स्थापना राजपत्रित शाखा से प्राप्त किये जा सकेंगे। दोपहर 01:00 बजे स्कूटनी प्रारंभ की जावेगी। दोपहर 3:00 बजे से साक्षात्कार प्रारंभ किया जावेगा। वॉक-इन-इण्टरव्यू का आयोजन स्कूटनी वाले दिन ही किया जायेगा। वॉक-इन-इण्टरव्यू हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

### वॉक-इन-इण्टरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

#### नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. आवश्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्त पदों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहे।
3. म.प्र. शासन के नियमानुसार यदि आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में सीटे. अनुरूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के क्रम में उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जा सकेगी। उक्त परिस्थिति में रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।

#### शर्तें:- नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन रहेगी।


1. नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष हेतु है। प्रत्येक एक वर्ष की अवधि में आपके कार्य के आकलन के आधार पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियुक्ति आगामी एक वर्ष हेतु बढ़ाई जावेगी। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। नियुक्ति की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।
2. नियुक्ति का तरीका- योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्क :- सीनियर रेसीडेण्ट/जूनियर रेसीडेण्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को 700/- रुपये एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500/- रुपये। किसी भी स्थिति में यह राशि लौटायी नहीं जावेगी। राशि का भुगतान चालान के माध्यम से अथवा आनलाईन भी किया जा सकता है।
4. शैक्षणिक योग्यता:-

**सीनियर रेसीडेण्ट हेतु-** सीनियर रेसीडेण्ट की मूल अर्हता साक्षात्कार के समय एम.सी.आई. के नवीन/वर्तमान अपडेट (Latest) मापदण्ड अनुसार रहेगी। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद म.प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

**जूनियर रेसीडेण्ट हेतु-** जिन चिकित्सकों ने एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एम.बी.बी.एस परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे ही इस पद के लिए पात्र होंगे। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। इसके उपरांत म.प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को संभागीय चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति बसूली योग्य होगी। कदाचरण, गंभीर शिकायत, उग्रूटी में लापरवाही एवं लगातार बगैर सूचना अनुपस्थिति की स्थिति में एक माह का नोटिस की वाध्यता नहीं होगी तथा इस तरह निकाले गए अभ्यर्थी को एक माह का वेतन इस संस्था द्वारा देय नहीं होगा।
8. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. निजी व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी, और न ही अव्यवसायी भत्ता देय होगा।
10. उपस्थिति दिनांक को समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां कार्यालय में जमा करानी होंगी।
11. आप किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अव्यवस्थित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति गिरस्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. कार्य पर उपस्थिति देने से पूर्व आपको स्वशासी संस्था में रूपये (45000/- जूनियर रेसीडेण्ट एवं 65000/- सीनियर रेसीडेण्ट) धरोहर राशि अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर, के नाम से जमा करानी होगी।
13. समस्त नियुक्तियां गाननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल एवं संचालक, चिकित्सा विभाग म0प्र0 एवं एम0सी0आई0 द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होगी।
14. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब./महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
15. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
16. इन चिकित्सकों को एक वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी एवं एक माह पश्चात् एक माह में 02 दिवस की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
17. चयनित अभ्यर्थियों का कम से कम 06 माह तक कार्य करने के उपरांत ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जावेगा 06 माह से कम अवधि हेतु अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
18. अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करते समय जिस संस्था में कार्यरत हैं, उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाडे की सूची में नहीं है, एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।
20. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
21. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियुक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,  
सागर (म.प्र.)